कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / म.गॉ.प्रकोष्ठ / 66174 / वॉक इन इन्टरव्यू / 2024–25 / 22810 **दिनांकः**

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
.... ।

जरिये ई–मेल

विषय :– अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– **1.** अधिसूचना क्रमांकः एफ.5(1)डीओपी / ए–II / 2023 जयपुर, दिनांकः 23.01.2023
2. विभाग द्वारा जारी समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकः 11.07.2024, 10.01.2025, 26.06.2025

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के नियम–10 व नियम–11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु स्टाफ चयन के लिए दिनांकः 25.08.2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण **वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) की**, उनके द्वारा दिये गये विकल्प व उनकी मैरिट के अनुसार जिला व ऑनलाईन काउंसलिंग के अनुसार विद्यालय आवण्टित करते हुए सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) की सूची उपर्युक्त संदर्भित नियम, 2023 के नियम–9 (ख) में उल्लिखित अनुसार गठित **"मण्डल स्तरीय चयन समिति"** के सम्मुख संलग्न दिशा–निर्देशानुसार विचारोपरान्त चयन आदेश जारी कर पदस्थापन की कार्यवाही करें तथा चयन सूची निदेशालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित करें।

संलग्नः–1. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) की जिला / विद्यालय आवण्टन सूची।
2. दिशा–निर्देश।

(सीताराम जाट)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि.निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
6. सहायक निदेशक, संस्थापन–एफ अनुभाग, कार्यालय हाजा को अग्रिम कार्यवाही एवं प्रबोधन हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.06.29 14:41:52 IST
Reason: Approved

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि.निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन परीक्षा उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के **"नियम–9 ख."** के प्रावधानानुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्त किए जाने बाबत कार्मिकों के चयन हेतु गठित **"मण्डल स्तरीय चयन समिति"** के अनुमोदनोपरान्त चयनित **वरिष्ठ अध्यापकों** का जिले के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन निम्नांकित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए किया जावें :–

पदस्थापन सेवा की शर्तें :–

1- सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात् कार्मिक को तीन वर्ष की किसी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को, पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त (Relieve) करने का अधिकार होगा।

2- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3- जैसे ही, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण (Retention) का विनिश्चय कर सकेगा।

4- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण जिले के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।

5- ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज/जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् भी रेंज/जिला स्तर पर ही बनी हुई है सम्बन्धित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणधिकार का हकदार होंगे।

6- ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् अन्य रेंज/जिले में पदस्थापित हैं वहाँ परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण, उस मूल रेंज/जिले, जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरान्त पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.06.29 14:41:52 IST
Reason: Approved

<u>पदस्थापन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश</u> :–

1- कार्मिकों के चयन हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन उपरान्त साक्षात्कार की पृथक से प्रक्रिया किये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

2- चयनित शिक्षकों को केवल अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय) में पदस्थापन आदेश जारी किया जावे।

3- उपरोक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल सहित) में साक्षात्कार व विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक का चयन व पदस्थापन नहीं किया जावे।

4- पदस्थापन किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि चयनित शिक्षक के विरूद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की विभागीय जाँच लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

5- पदस्थापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है तथा चयन हेतु अनुमोदित सूचियों में शिक्षक का वर्तमान पदस्थापन स्थान, मूल पद व विषय सही अंकित है।

6- चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पद पर किया जावे। किसी भी स्थिति में पद विरूद्ध पदस्थापन नहीं किया जावे।

7- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत नियुक्त कार्मिकों को शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर निगम) में पदस्थापित नहीं किया जावे।

8- अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा।

9- **उक्त कार्मिकों का चयन व पदस्थापन** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी. बी. सिविल स्पेशल अपील याचिका संख्या–734/2024 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मोहनलाल शर्मा व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड 03 याचिकाओं एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल याचिका संख्या–14505/2024 राजेश कुमार जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं अन्य संबंधित न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

10- संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित करें कि उक्त कार्मिकों को तत्काल (**दिनांकः 30.06.2025 को ही)** पदस्थापन स्थान हेतु ऑनलाईन कार्यमुक्त करें तथा संबंधित कार्मिक पदस्थापन स्थान पर **दिनांकः 02.07.2025** तक ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नियमत्रण अधिकारी की होगी।

(सीताराम जाट)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि.निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.06.29 14:41:52 IST
Reason: Approved